

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

क्रमांक

दिनांक

:: सूचना ::

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कोटेशन आमंत्रण संख्या 1351 दिनांक 06.04.2022 के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के लिए मासिक आधार पर एक वाहन पूर्णतया: संविदा आधार पर किराए पर लिए जाने हेतु व्यक्ति, फर्म एवं ट्रेवल एजेंसी से कोटेशन आमंत्रित किए जाने एवं तत्पश्चात् जारी संशोधित कोटेशन आमंत्रण सूचना 1407/08.04.2022 के माध्यम से दिनांक 18.04.2022 तक किराये पर वाहन लगाये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

किन्तु कोई भी आवेदन प्राप्त न होने के कारण वाहन समिति द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने की अंतिम दिनांक बढ़ाये जाने का निर्णय लिये जाने पर उक्त कोटेशन आमंत्रित किये जाने की दिनांक 25.04.2022 तक बढ़ाई जाती हैं। इच्छुक वाहन प्रदाता दिनांक 25.04.2022 को समय 11:00 ए.एम तक पूर्व में जारी विज्ञप्तिनुसार कोटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य शर्तें एवं नियम पूर्ववत रहेंगे।


— sd —
अध्यक्ष

संविदा किराया वाहन कमेटी
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02)
सीकर
दिनांक 16/4/2022

क्रमांक 1522

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है।

01. संविदा किराया वाहन कमेटी अध्यक्ष/सदस्य श्री.....
02. सूचना पट्टा जिला न्यायालय/कलेक्ट्रेट परिसर, सीकर एवं तालुका कार्यालयों आदि पर चस्पा करनपे हेतु।
03. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
04.
05. कार्यालय प्रति


अध्यक्ष

संविदा किराया वाहन कमेटी
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02)
सीकर